भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4726
दिनांक 20 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

दवाओं के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलना

†4726. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दस वर्षों के दौरान दवाओं के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने के संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्तमान वर्ष सहित वर्ष-वार कुल कितने मामले राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को हस्तांतरित किए गए हैं;
(ख) ऐसे कितने मामलों में जुर्माना लगा कर कार्रवाई पूरी कर ली गई है और वसूल किए गए जुर्माने का ब्यौरा क्या है;
(ग) वर्तमान में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कितने मामले न्यायनिर्णयन के लिए लंबित हैं;
(घ) सरकार द्वारा हरियाणा सहित पूरे देश में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए दवाओं के मूल्य नियंत्रण की निगरानी और प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) क्या सरकार ने दवाओं के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने के मामलों को कम करने और औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यनीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को जब भी अधिप्रभारन के मामले की सूचना मिलती है, तो वह इसकी जांच करता है। यदि प्रथम दृष्टया अधिप्रभारन का मामला सिद्ध हो जाता है, तो एनपीपीए ऐसी कंपनियों को मांग नोटिस (डीएन) जारी करके प्रभारित अधिक मूल्य और लागू ब्याज की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करता है। एनपीपीए औषध कंपनियों द्वारा अधिप्रभारन का राज्यवार रिकॉर्ड नहीं रखता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2025-26 (30.09.2025 तक) की अवधि के दौरान जारी किए गए मांग नोटिसों की संख्या, वसूल की गई मांग राशि और लंबित मामलों का वर्ष-वार विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

दवाइयों के लिए अधिप्रभारन के मामलों का विवरण				
वित्तीय वर्ष	**जारी मांग नोटिसों की कुल संख्या**	**मामलों की संख्या जिनमें मांग राशि की वसूली की गई है**		**वर्तमान में लम्बित मामलों की संख्या**
	मामलों की संख्या	**मामलों की संख्या**	**वसूल की गई राशि (रुपए लाख में)**	**मामलों की संख्या**
2015-16	245	138	953.26	107
2016-17	118	58	6129.14	60
2017-18	182	56	4274.48	126
2018-19	134	70	786.57	64
2019-20	54	32	377.16	22
2020-21	21	3	9.79	18
2021-22	6	4	341.35	2
2022-23	99	21	452.95	78
2023-24	43	8	29.44	35
2024-25	59	27	172.96	32
2025-26 ***(30.09.2025 तक)***	60	13	333.83	47
कुल	**1021**	**430**	**13860.93**	**591**

(घ): मूल्य निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र योजना 'उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी - (सीएपीपीएम)' के अंतर्गत हरियाणा सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाइयाँ (पीएमआरयू) स्थापित की हैं। ये पीएमआरयू मूल्य संबंधी डेटा एकत्र करती हैं और औषधियों के मूल्य निर्धारण से संबंधित पहलुओं पर जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए आईईसी कार्यकलाप भी संचालित करती हैं। एनपीपीए और उपभोक्ता/आम जनता को 'फार्मा जन समाधान' जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा गया है, जो उपभोक्ताओं को औषधियों के मूल्य निर्धारण, कमी और अनुपलब्धता से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रभावी और समयबद्ध शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करता है। इसके अलावा, उपभोक्ता मोबाइल ऐप 'फार्मा सही दाम' और 'केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स)' के माध्यम से भी एनपीपीए से जुड़ सकते हैं। फार्मा सही दाम ऐप में 928 औषधियों की अधिकतम मूल्य सीमा और लगभग 98600 औषधियों का एमआरपी सूचीबद्ध है। आम जनता इस ऐप के माध्यम से विभिन्न औषधियों के वर्तमान मूल्यों की जाँच कर सकती है। इसके अतिरिक्त, एनपीपीए की हेल्पलाइन संख्या 1800111255 और ईमेल: monitoring-nppa@gov.in है, जिन पर औषधियों के अधिप्रभारन के विरुद्ध शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। साथ ही, सभी मूल्य अधिसूचनाएं एनपीपीए की वेबसाइट www.nppa.gov.in पर अपलोड की जाती हैं।

(ङ): औषधियों की कीमतों की निगरानी और अधिक प्रभारित की गई राशि की वसूली की कार्रवाई एक सतत गतिविधि है और इसलिए, इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।
